न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया , आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 80/22 (वाद)

GCMS No. : 2022/252

अनवान

1. बाबुलाल पुत्र श्रीमती हीराबाई पत्नी श्री नारायण गाडरी निवासी भीम का खेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।

बनाम

1. श्री बाबरू पुत्र भीमा गाडरी निवासी भीम का खेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
2. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार/उप पंजीयक तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 जा.0दी0.

दिनांक : 29.08.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं सपठित धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त अनवान का वाद माननीय न्यायालय उप जिला कलेक्टर महोदय वल्लभनगर के न्यायालय में विपक्षीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0टि0एक्ट0 प्रस्तुत किया गया एवं प्रार्थी की ओर उपरोक्त वाद में पैरवी करने के लिए अधिवक्ता श्री शंकरलाल डांगी को नियुक्त किया गया था। यह कि दोराने प्रकरण की ओर से नियुक्त अधिवक्ता श्री शंकरलाल डांगी की मृत्यु हो गई एवं उसके बाद भीण्डर में नवीन उपखण्ड कार्यालय की स्थापना हो जाने से उपतहसील भीण्डर एवं उपतहसील कानोड के अन्तर्गत आने वाले समस्त प्रकरणों को वल्लभनगर राजस्व न्यायालय से माननीय न्यायालय में हस्तांतरित कर दिये गये। उपरोक्त प्रकरण को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2022 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारीज किया जा चुका है। जिसे पुनः नम्बर पर लिया जाकर आदेश दिनांक 27.06.2022 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:40 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। जवाब नहीं दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से दोनो शंकरलाल डांगी अधिवक्ता को पैरवी हेतु नियुक्त किया गया था। जिसमें से प्रार्थी की ओर से नियुक्त अधिवक्ता श्री शंकरलाल डांगी की मृत्यु होने का कथन स्वीकार है किन्तु शंकरलाल डांगी नाम से दो अधिवक्ता न्यायालय में पैरवी करते है जिनमें से एक

Scanned by CamScanner

का स्वर्गवास हो चुकां है तथा दुसरे अधिवक्ता श्री शंकरलाला डांगी आज भी न्यायालय में पैरवी करतें है।

3. अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कहा गया कि प्रार्थी को वाद लडनें में कोई दिलचस्पी नहीं होने से प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं किया गया। जिससे प्रार्थी के अधिवक्ता वाद में तारिख पेशी दिनांक 27.06.2022 को माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिससे वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया गया। यह कि प्रार्थी को पेशीयों की तारिखों की पुख्ता जानकारी होने के बावजुद भी प्रार्थी को वाद लडने में कोई दिलचस्पी नहीं होने से वादी/प्रार्थी तारिख पेशी के दिन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुर्णतयाः झूठा व मनगढन्त आधारो पर होने के कारण निरस्त फरमाया जावें।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस को सुना। प्रकरण के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण संख्या 55/21 अनवान बाबुलाल बनाम बाबरू आदेश दिनांक 27.06.2022 को वादी मय अधिवक्ता द्वारा अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया गया। चूंकि मुल पत्रावली के अवलोकन से मुल पत्रावली पक्षकारान के दस्तावेज पेश करनें में नियत थी। उसके बाद वादी मय अधिवक्ता द्वारा अनुपस्थित होने से वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया गया। जिसे नम्बर में लेने के लिए वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। चुंकि प्रकरण में वादी का हित निहित है। प्रकरण में पेशी दिनांक की जानकारी रखना वादी का दायित्व है। प्रकरण पुराना होकर कृषि भूमि से संबंधित होने से वादी को सुना जाना आवश्यक है। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कोई स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वादी की भुल समझा जा सके। फिर भी वादी का वाद में हित निहित होने से न्यायहित में कोस्ट पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 जा0दी0 न्यायाहित में 200 रूपये के कोस्ट पर स्वीकार योग्य पाया जाता है।

– : : आदेश : : –

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] सपठित धारा 151 जा0दी0 का 200/– अक्षरे दो सौ रूपये की कोस्ट [illegible] किया जाकर मूल वाद प्रकरण संख्या 55/21 अनवान बाबुलाल [illegible] आदेश दिनांक 27.06.2022 को अपास्त किया जाकर मूल वाद को [illegible] का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी द्वारा उक्त कोस्ट की राशि राजकोष मे जरिये चालान जमा करा चालान की रसीद प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:40 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

29/8/22

Scanned by CamScanner